



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक : MGAHV/103/HOSTEL MESS SERVICES/2019-20/02/344
दिनांक : 06.12.2019

परिपत्र

विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में दिनांक 10.12.2019 से मेस सुविधा का उपयोग करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्न व्यवस्था लागू की जाती है।

1. विद्यार्थी को 5 दिन या उससे अधिक अवकाश पर जाने की स्थिति में अपने विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर न्यूनतम दो दिन पूर्व प्रबंधन समिति मेस व वार्डन को सूचित करना अनिवार्य होगा।
2. वार्डन/कुलानुशासक की अनुशंसा पर संबंधित छात्रावास के विद्यार्थियों की मेस प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा जो समय समय पर भोजन की गुणवत्ता की जाँच करेगी। समिति में प्रत्येक माह नये विद्यार्थी सदस्यों का समावेश किया जायेगा।
3. अतिथि शुल्क चार्ज अधिकतम रु. 100/- प्रतिदिन (नाश्ता, लंच एवं डिनर) देय होगा।
4. मेस भोजन बनाने की जगह पेस्ट कंट्रोल/इन्सेक्ट किलर की व्यवस्था संबंधित फर्म द्वारा की जाएगी।
5. बीमार छात्रों के लिए संबंधित छात्रावास के अधीक्षक की अनुशंसा पर छात्रावास के कमरे में भोजन ले जाने की अनुमति होगी।

यह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 06/12/19

प्रतिलिपि

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. कुलानुशासक
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
5. समस्त छात्रावास अधीक्षक
6. संबंधित फाइल/गार्ड फाइल